

**पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 5 वी)**  
**शिष्यवृत्ती अर्हता प्रकार व शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याचे निकष**

| शिष्यवृत्ती स्तर                                                         | जिल्हानिहाय       |                                           |                              |                                           |                                           |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| शिष्यवृत्ती प्रकार                                                       | E                 | F                                         | G                            | H                                         | I                                         | J                  | K               |
| शिष्यवृत्तीचे मासिक दर                                                   | रु. 500/-         | रु. 500/-                                 | रु. 500/-                    | रु. 500/-                                 | रु. 500/-                                 | रु. 500/-          | रु. 500/-       |
| शिष्यवृत्तीचे नाव                                                        | राष्ट्रीय ग्रामीण | विदर्भातल्या 11 जिल्ह्यांसाठी विद्यावेतने |                              |                                           |                                           | ग्रामीण सर्वसाधारण | शहरी सर्वसाधारण |
|                                                                          |                   | सर्वसाधारण (मुले / मुली)                  | सर्वसाधारण (मुली)            | मागासवर्गीय (मुले / मुली)                 | मागासवर्गीय (मुली)                        |                    |                 |
| 1 - मुलगा<br>2 - मुलगी                                                   | ●                 | 1 - मुलगा,<br>2 - मुलगी                   | 2 - मुलगी                    | 1 - मुलगा,<br>2 - मुलगी                   | 2 - मुलगी                                 | ●                  | ●               |
| 1 - अनुसूचित जाती<br>2 - अनुसूचित जमाती<br>3 - विमुक्त जाती भटक्या जमाती | ●                 | ●                                         | ●                            | 1 - अ. जा.<br>2 - अ. ज.<br>3 - वि.जा.भ.ज. | 1 - अ. जा.<br>2 - अ. ज.<br>3 - वि.जा.भ.ज. | ●                  | ●               |
| पालकांचे वार्षिक उत्पन्न                                                 | ●                 | रु. 1,00,000/-<br>पेक्षा कमी              | रु. 1,00,000/-<br>पेक्षा कमी | ●                                         | ●                                         | ●                  | ●               |
| 1 - शहरी<br>2 - ग्रामीण                                                  | 2 - ग्रामीण       | ●                                         | ●                            | ●                                         | ●                                         | 2 - ग्रामीण        | 1 - शहरी        |
| पात्र<br>अपात्र                                                          | पात्र<br>आवश्यक   | पात्र<br>आवश्यक                           | पात्र<br>आवश्यक              | पात्र<br>आवश्यक                           | पात्र<br>आवश्यक                           | पात्र<br>आवश्यक    | पात्र<br>आवश्यक |
| <b>पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती<br/>एकूण मंजूर संच संख्या (16693)</b> | <b>340</b>        | <b>243</b>                                | <b>19</b>                    | <b>93</b>                                 | <b>11</b>                                 | <b>8124</b>        | <b>7863</b>     |

- वरील शिष्यवृत्त्या केवळ महाराष्ट्र शासनाचा अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार घोषित केले जातात.
- मर्यादित शिष्यवृत्ती संच असल्याने कटऑफ इतके एकूण शेकडा गुण असणारे सर्व विद्यार्थी शिष्यवृत्तीधारक ठरत नाहीत. अशावेळी प्रचलित निकष वापरून शिष्यवृत्ती अर्हताधारक विद्यार्थी ठरविले जातात.